न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या— 20/23 तारीख रज्जू—25/11/22

1. छुट्टनलाल उर्फ सीमाराम पुत्र रामसहाय उम्र 45 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुर्जर बडौदा तहसील बामनवास। ——अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास। — रेसपोडेन्टान

उपस्थित

1. अधिवक्ता तरूण शर्मा – अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट पक्ष

निर्णय दिनांक—29.10.2024

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम गुर्जर बडौदा के नामान्तकरण संख्या 124 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.1983 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण सं0 124 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.1983 द्वारा तहसीलदार बामनवास ने रामसहाय पिता श्योबक्स की ग्राम गुर्जर बडौदा में स्थित खातेदारी का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 124 निर्णय दिनांक 10.01.1983 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 स्वयं उपस्थित होने पर तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा न्यायहित में प्रार्थना अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है, तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 331 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ,खं0नं0 341 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खं0नं0 345 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खं0नं0 353 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खं0नं0 355 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खं0नं0 515 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल 13 बीघा 16 बिस्वा ग्राम गुर्जर बडौदा वादी के पिता रामसहाय व करणा की खातेदारी की भूमि रही है। अपीलांट के पिता रामसहाय की मृत्यु के समय अपीलान्ट 1 वर्ष का था तथा अपीलांट का वास्तविक नाम छुट्टनलाल है। सीमाराम अपीलांट का घर का नाम है। अपीलांट के सारे राजकीय दस्तावेज में अपीलांट का नाम छुट्टनलाल अंकित है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से व भूलवश अपीलांट का नामान्तकरण में नाम सीयाराम अंकित कर दिया तथा उसी नाम से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलांट उस वक्त नाबालिंग था तथा इस कारण अपीलांट को उसकी जानकारी नही थी। उक्त भूमि में अपीलांट का 1/12 हिस्सा है। जिस पर अपीलांट काबिज है। छुट्टनलाल व सियाराम एक ही व्यक्ति है तथा दोनों नाम ही अपीलान्ट के है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश नाम सियाराम अंकित कर दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 में भी अंकित किया है कि छुट्टनलाल व सियाराम एक ही व्यक्ति के दो अलग—अलग नाम हैं। जमाबंदी में सियाराम व अन्य कागजो में छुट्टनलाल पुत्र रामसहाय दर्ज है। साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नामान्तकरण सं0 124 निर्णय दिनांक 10.01.1983 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

29/10/24

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तथा भू-अभिलेख की अभिशंषा पर तस्दीक किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त नामान्तकरण सं0 124 निर्णय दिनांक 10.01.1983 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 में भी अंकित किया है कि छुट्टनलाल व सियाराम एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग नाम है। जमाबंदी में सियाराम व अन्य कागजों में छुट्टनलाल पुत्र रामसहाय दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तु रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट द्वारा अवगत कराया कि जमाबंदी में खाता सं0 14 में खातेदार सियाराम पुत्र रामसहाय नाम दर्ज है। जो कि अपीलार्थी का बचपन का नाम था वर्तमान में लोग से छुट्टनलाल नाम से बुलाते है तथा सहवन से पटवारी द्वारा नाम सियाराम दर्ज हो गया। ऐसी स्थिती में उक्त प्रकरण तहसीलदार बामनवास को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बामनवास अपीलार्थी को सुनकर नियमानुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण सं0 124 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.1983 निरस्त करने की हद तक स्वीकार की जाती है, साथ ही प्रकरण तहसीलदार बामनवास को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बामनवास अपीलार्थी को सुनकर नियमानुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी